न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश बिश्नोई आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 13/2018

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
1. अलिया उर्फ शेरू खां उर्फ अलीशेर पुत्र मीरू खां जाति मुसलमान निवासी मुन्दरडी तहसील व जिला जैसलमेर	बनाम	1. सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदार, जैसलमेर जो उन्होने सरकार बनाम अलीया उर्फ शेरू बमुंकाम संख्या 05/2018 में दिनांक 16.03.2018 को पारित किया गया।

उपस्थित :-

1. **श्री मोहम्मद अली, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **पैरोकार राज, तहसीलदार, जैसलमेर।**

-:: निर्णय ::- दिनांकः- **01,नवम्बर,2019**

1. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई व नोटिस रेस्पोडेन्ट को जारी किये गये। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी पिथला ने प्रत्यार्थी को दिनांक 01.02.2018 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी/अप्रार्थी द्वारा ग्राम मून्दरडी के खसरा नम्बर 138 रकबा 156.05 बीघा गैर मुमकिन मगरा में 6 बीघा खसरा नम्बर 139 रकबा 137.15 बीघा गैर मुमकिन मगरा में 8 बीघा खसरा नम्बर 141 रकबा 27.16 बीघा किस्म बंजड में 26 बीघा एवं खसरा नम्बर142 रकबा 49.16 बीघा किस्म बंजड में 36 बीघा कुल ाकबस 76 बीघा पर तारबन्दी करके व खसरा नम्बर 166 रकबा 69.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन आगोर में 9.00 बीघा पर जीरा की नाजायज काश्त की है जिसके लिये अपीलार्थी/अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही की जाय। प्रत्यार्थी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत प्रकरण संख्या 5/2018 दर्ज कर निर्णय दिनांक 16.03.2018 पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 500/- फसल कुर्की आदेशित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखली के लिये भू अभिलेख निरीक्षक, जैसलमेर को आदेशित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 16.03.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम मुन्दरडी के खसरा नम्बर 138, 139, 141, 142 पर कदीमी कब्जा काश्त रही है, जिस पर भू प्रबन्ध विभाग ने गलती से इन खसरान की भूमि सिवाय चक इन्द्राज किया जिस बाबत शामलाती काश्त होना करते हुए धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत नोटिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम), जैसलमेर

Scanned by CamScanner

दिया जाना, खसरा नम्बर 135 व 139 पर उस्मान वगैराह का कब्जा काश्त होना, खसरा नम्बर 141 पर कुतुब खां का तथा खसरा नम्बर 142 पर दीनू व नूरा का कब्जा कब्जा काश्त होना कथन करते हुए जबाब प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यार्थी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया जाकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। खसरा नम्बर 166 किस्म गैर मुमकिन आगोर के सम्बन्ध में वाद सहायक कलक्टर, जैसलमेर के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी ने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 139, 141, 142 में पूर्व में काश्त पर प्रत्यार्थी द्वारा फसल कुर्की व बेदखली का आदेश पारित किया था जिसके विरूद्व माननीय राजसव मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 17.02.2016 को स्थगन आदेश प्राप्त किया हैं व प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही लंबित है। अपीलार्थी का प्रस्तुत करना है कि हल्का पटवारी के अभिकथन रिकोर्ड के साथ उससे प्रति परीक्षण का अवसर नही दिया गया। अपीलार्थी के अलावा अन्य अतिक्रमियों को पक्षकार के रूप में संलिप्त नही किया गया। वादग्रस्त आराजी का हल्का पटवारी द्वारा कब्जा सरकार के पक्ष में नही लिया गया है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देना कथन करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2018 अपास्त करने का अनुरोध किया है। समयावधि के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2018 के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 समयावधि अधिनियम के प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2018 की जानकारी सम्बन्धित लिपिक से दिनांक 04.07.2018 को हुई जिस पर दिनांक 04.07.2018 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर उसकी प्राप्ति पर दिनांक 26.07.2018 को अपील प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र द्वारा अपील में कारित विलम्ब क्षम्य करते हुए इसे समयावधि में शुमार करने का अनुरोध किय गया है।

2. प्रत्यार्थी तहसीलदार, जैसलमेर का प्रस्तुत करना है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम मून्दरडी के खसरा नम्बर 138, 139, 141, 142 व 166 में 85 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया जिस पर प्रश्नगत कार्यवाही की गई।

3. उभयपक्षो की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2018 की प्रथम बार जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के लिपिक से दिनांक 04.07.2018 को हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन कर निर्णय की प्रतिलिपि दिनांक 10.07.2018 को प्राप्त होने पर दिनांक 26.07.2018 को प्रश्नगत निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर दी गई जिसके लिये विलम्ब का शमन कर अपील समयावधि में शुमार की जाय। प्रत्यार्थी ने अपील समयावधि में प्रस्तुत नही होने के आधार पर ही निरस्त करने का अनुरोध किया। न्यायहित में समयावधि बिन्दु पर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णीत करना निश्चित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner

4. गुणावगुण के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क रखा कि अपीलार्थी को अपना कथन प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर नही दिया गया। खसरा नम्बर 166 कर प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में वाद सहायक कलक्टर, जैसलमेर के न्यायालय में विचाराधीन होना कथन कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.03.2018 अपास्त करने का अनुरोध किया। प्रत्यार्थी तहसीलदार, जैसलमेर का तर्क रहा कि शेरूखान, उस्मान खान व दीने खान निवासीगण मुन्दरडी द्वारा विगत मे ग्राम मून्दरडी के खसरा नम्बर 139, 141 व 142 की 24 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त करने पर फसल कूर्की व बेदखली की कार्यवाही आदेशित की गई थी, जिसके विरूद्व अतिक्रमियो ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रार्थना पत्र 1232/2016 प्रस्तुत कर दिनांक 17.02.2016 को स्थगन प्राप्त किया था परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलार्थी पक्षकार नही रहा है। हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरक्षक, जैसलमेर द्वारा बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी में कोई बल नही होने से अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5. उभयपक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सन् 2016 में ग्राम मून्दरडी के खसरा नम्बर 139, 141, 142 पर नाजायज काश्त के सम्बन्ध में शेरखान, उस्मान खान व दीने खां के विरूद्व प्रत्यर्थी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 1232/2016 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा बेदखल कर दिया जाना कथन किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कथन किया प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी में कोई बल नही होने से इस न्यायालय द्वारा अपील खारिज की जाती है। उभयपक्ष अपना अपना व्यय वहन करे।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
(एडीएम) जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 01.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner